

3

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)
FORM 21D
(See rule 64)

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)


Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Bihar from **50-Jokihat** Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that **Shri Shahnawaz, Sisona Dhobi Tola, Jokihat** [sponsored by **Rashtriya Janata Dal**] has been duly elected to fill the vacancy cause in that house by the resignation of **Shri Sarfraz Alam**.

Place : Araria

Date : 31.05.2018


Returning Officer,
50-Jokihat Assembly Constituency

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

2

प्ररूप 21घ

[नियम 64 देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो।

लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।
बिहार (राज्य) के 50-जोकीहाट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, घोषणा करता हूँ कि :-
श्री शाहनवाज, सा0- सिसौना घोबी टोला, जोकीहाट [जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए गए हैं।

जब सदन में,


श्री सरफराज आलम, माननीय विधायक के त्याग पत्र के कारण*

श्री सरफराज आलम, माननीय विधायक का स्थान रिक्त हो जाने कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- अररिया

तारीख - 31.05.2018

सामान्य प्रेक्षक,
50-जोकीहाट विधान सभा क्षेत्र


रिटर्निंग आफिसर,
निर्वाचन प्रशासिका सभा
50-जोकीहाट विधान सभा क्षेत्र
-सह- अपर समाहता
अररिया।